Form -I
For Non linear Project
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Dehradun

No.....21(1)

Dated.....11.6.2020

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of 'The Ministry of Enviroment and Forest (MoEF) Government of india 's letter 11-9/98-Fc(Pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidlines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Regcogination of Forest Rights) Act 2006 (FRA', for Short) on the forest land proposed to be divered for non-forest purpose read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoLF issued certain relaxation in respect of non linear projects, it is certified that 0.165 Hectare of Notified Forest land proposed to be diverted in favour of **Uttarakhand peyjal Sansadhan Vikas Evam Nirman Nigam, Mussoorie** for construction of S.T.P. of Camelback Zone under Mussoorie Sewerage Scheme Dehradun district falls within jurisdication of Nagarpalika Parishad Mussoorie.

It is the further certified that

a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.165 Hectare of Notified Forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Nagarpalika Parishad Mussoorie and sub Division Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 61. to ..64.. annexure

b) The diversion of forest land for facilities managed by the Govenment as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Nagarpalika Parishad Mussoorie have given their consent to it.

c) The proposal does not involved recognised rights of Primitive Tribal Group and agriculture communities

Encl : as above

Signature

District Magistrate
Dehradun

जिलाधिकारी
देहरादून

(full name and official seal of the District Collector)

Scanned with CamScanner

Form-II
For Non linear Project
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Dehradun

No. 21(2)

Dated 11.6.20

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of 'The ministry of Environment and Forest (MoEF) Government of india 's letter 11-9/98-Fc(Pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidlines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Regcogination of Forest Rights) Act 2006 (FRA', for Short) on the forest land proposed to be divered for non-forest, it is certified that 0.165 hectare of Notified Forest land proposed to be diverted in favour of **Uttarakhand peyjal Sansadhan Vikas Evam Nirman Nigam, Mussoorie** for construction of S.T.P. of Camelback Zone under Mussoorie Sewerage Scheme Dehradun district falls within jurisdication of Nagar Palika Parishad Mussoorie.

It is the further certified that

1. The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.165 Hectare of Notified Forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Concerned Nagar Palika Parishad Mussoorie and sub Division Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 61.. to ..64... annexure
2. The proposal for such diversion (with full details of project and its implications in vernacular/local language) have been placed herefore such concerned Nagar Palika Parishad Mussoorie of forest-dwellers who are eligble under the FRA.
3. The Nagar Palika Parishad Mussoorie has certified that all formalities/process under the FRA have been carried out and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measure, if any having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Chairman Nagar Palika Parishad Mussoorie is enclosed as annexure ..61... to..64... annexure.
4. The discussion and decisions on th such proposals had taken place only when there was a quoum of minumum 50% of the members of Nagar Palika Parishad Mussoorie present.
5. The diversion of forest land for facilities managed by the Govenmant as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Nagar Palika Parishad Mussoorie have given their consent to it.
6. The rights of primitive Tribal Group and Pre- Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA.

Encl : as above

Signature

(full name and official seal of the District Collector)

District Megistrate
Dehradun

जिलाधिकारी
देहरादून।

Scanned with CamScanner

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICTD DEHRADUN (UK)

Preceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of Dehradun district constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. /Mrs. /Miss.....Dr. Ashish Kumar Srivastava Deputy commissioner Dehradun on dated.11.6.20 at time.....at.....which application claiming rights in Mussoorie forest area measuring 0.165 ha for construction of S.T.P. of Camelback Zone under Mussoorie Sewerage Scheme. Forest land under FAR, 2006 if the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Mussoorie Sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny if the documents and detailed discussions, no objection /claims were found have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:...Dehradun
Dated:.....11.6.20

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District level committee

जिलाधिकारी
देहरादून।

Scanned with CamScanner

कार्यालय – जिलाधिकारी, देहरादून
जनपद– देहरादून

पत्रांक 21(3)

दिनांक – 11.6.20

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जनजातीय व्यक्ति एंव पारम्परिक वन निवासी हेतु गठित जिलास्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्तः–

दिनांक 4.6.20 को जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत गठित जिलास्तरीय समिति में जनपद–देहरादून में मसूरी वन प्रभाग के मसूरी रेंज अन्तर्गत विकास खण्ड़ सहसपुर में निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी के अन्तर्गत मसूरी सीवरेज योजना में प्रस्तावित कैमलबेक जोन की एस0टी0पी0 निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है0 वन भूमि का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया, जिस हेतु 0.165 है0 वन भूमि वन विभाग से निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम मसूरी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिकी कार्य हेतु सम्बन्धित ग्राम सभाओं एंव उपखण्ड़ समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मति से पारित प्रस्तारव के आधार पर प्रश्नगत् प्रयोजन हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एंव संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उप जिलाधिकारी मसूरी की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त 0.165 है0 वन भूमि जो कि वन विभाग के मसूरी रेंज के अन्तर्गत आती है, पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

उप जिलाधिकारी मसूरी की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
देहरादून।

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

जिलाधिकारी
देहरादून।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
पृ0सं0
देहरादून

दिनांक जिलाधिकारी
देहरादून।

प्रतिलिपि – अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम मसूरी को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
देहरादून

Scanned with CamScanner

कार्यालय – उप जिलाधिकारी, मसूरी।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत् प्रमाण--पत्र

उपखण्ड़ स्तरीय समिति, मसूरी।

उपखण्ड मसूरी परिक्षेत्र के मसूरी वन प्रभाग की मसूरी रेंज के अन्तर्गत वन भूमि क्षेत्र में निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी के अन्तर्गत मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमलबैक जोन की एस0टी0पी0 निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है0 वन भूमि/आरक्षित वन भूमि/निजी भूमि/पंचायत वन भूमि, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी /प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड़ स्तरीय समिति,(तहसील–मसूरी) की दिनांक 24/07/2020 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता)अधिनियम, 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री वरुण चौधरी .....उप जिलाधिकारी एंव अध्यक्ष, उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्ननुसार है।

1. श्री/श्रीमती वरुण चौधरी .....उप जिलाधिकारी मसूरी अध्यक्ष।
2. श्री/श्रीमती अनुज गुप्ता .....अध्यक्ष नगरपालिका परिषद् मसूरी सदस्य।
3. श्री/श्रीमती के.पी.एस वर्मा .....उप प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी सदस्य।
4. श्री/श्रीमती .....सहायक समाज कल्याण अधिकारी सहसपुर देहरादून सदस्य

उपखण्ड़ सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मसूरी वन प्रभाग के मसूरी रेंज अन्तर्गत मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमलबैक जोन की एस0टी0पी0 निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है0 वन भूमि/आरक्षित वन भूमि/निजी भूमि/पंचायत वन भूमि, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी /प्रयोक्ता एजंसी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। उक्त क्षेत्र के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित नगरपालिका द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी हैं।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एंव तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा /आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा रही है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड़ मसूरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत मसूरी वन प्रभाग के मसूरी रेंज अन्तर्गत प्रस्तावित मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमलबैक जोन की एस0टी0पी0 निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है0 वन भूमि/आरक्षित वन भूमि/निजी भूमि/पंचायत वन भूमि, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी /प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

24/07/2020

उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष
उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील – मसूरी।
जनपद – देहरादून।

प्रतिलिपि – जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष
उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील – मसूरी।
जनपद – देहरादून

Scanned with CamScanner

63

—: प्रमाण—पत्र :—

दिनांक .12.02.2020 को मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत भिलाडु, कम्पनी गार्डन एवं कैमल बैक जोन हेतु प्रस्तावित एस0टी0पी0 एवं सीवर लाईन निर्माण हेतु आवश्यक वन भूमि की स्वीकृति हेतु, वन भूमि अधिनियम 2006 के सम्बन्ध में बैठक हुई, उक्त बैठक मे नगरपालिका परिषद के 50 प्रतिशत से अधिक सभासद उपस्थित थे।

26/05/20

अध्यक्ष नगरपालिका
परिषद मसूरी

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद्
मसूरी

प्रति हस्ताक्षर

उप जिलाधिकारी
मसूरी।

1. कुलदीप सौंधेला वार्ड 11-
2. जसबीर कौर वार्ड -13
3. नन्द लाल वार्ड नं 10 Nandlal
4. प्रताप सिंह पंवार वार्ड नं 04
5. दर्शन रावत वार्ड नं. 07 Darshan
6. सुरेश श्यालिग्राम
7. आरती अग्रवाल
8- Pankaj Batra
9-

Van bhomi

Scanned with CamScanner